(14)

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/301/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 22 April, 2013

सेवा में

श्री हंसराज,
पुत्र-राम सहाय,
एफ 2/11, प्रताप विहार पार्ट-II,
किराड़ी सुलेमान नगर,
दिल्ली-110086

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक रहित आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 15.04.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि आपके आवेदन का स्वरूप सामान्य एवं भारी-भरकम है जिसके लिए विभिन्न लोक प्राधिकारियों एवं राज्य सरकारों/राज्य पुलिस से सूचना संकलित किए जाने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। तथापि, सूचना का संकलन सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए आपके आर टी आई आवेदन के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। आपको सलाह दी जाती है कि आप कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.6.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 10/2/2008-आई आर के पैरा 3 (iii) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार विभिन्न लोक प्राधिकारियों/राज्य सरकारों को अलग-अलग आर टी आई आवेदन प्रस्तुत करें तथा सीधे उनसे संपर्क करें।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

3411

भवदीया,

S/C एस. सुधा

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष : 23092856

Issued 1228 6/5.